महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर

जैसलमेर रोड़, राष्ट्रीय राजमार्ग नं. 15, बीकानेर (राज.)

प.7(112-3)MGSUB/Acad/2011/ Date :

विद्या परिषद की नौवीं बैठक का कार्यवाही विवरण

महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर की विद्या परिषद की नौवीं बैठक दिनांक 27–09–2011 को प्रातः 11:00 बजे कुलपति सचिवालय के मीटिंग हॉल में माननीय कुलपति प्रो. गंगा राम जाखड़ की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्यगण उपस्थित हुए :–

1.	प्रो. गंगा राम जाखड़	–	अध्यक्ष
2.	डॉ. आर.के. वर्मा	–	अधिष्ठाता, विज्ञान संकाय
3.	डॉ. विमलेन्दु तायल	–	अधिष्ठाता, विधि संकाय
4.	डॉ. एम.डी. गौरा	–	अधिष्ठाता, वाणिज्य संकाय
5.	श्री मनीराम	–	अधिष्ठाता, सामाजिक विज्ञान
6.	श्री एच.आर. इसरान	–	अधिष्ठाता, कला संकाय
7.	डॉ सुरेन्द्र सहारण	–	अधिष्ठाता, शिक्षा संकाय
8.	प्रो. एम.एम. सक्सेना	–	कुलपति द्वारा मनोनीत सदस्य
9.	प्रो. एस.के. मनोत	–	कुलपति द्वारा मनोनीत सदस्य
10.	डॉ. मीरा श्रीवास्तव	–	सदस्य
11.	डॉ. आशा गोस्वामी	–	सदस्य
12.	डॉ. आर.के. सॉंगवान	–	सदस्य
13.	डॉ. जी.पी. सिंह	–	सदस्य
14.	डॉ. बी.एल. जाटव	–	सदस्य
15.	डॉ. सतीश कौशिक	–	सदस्य
16.	डॉ. रचना माथुर	–	सदस्य
17.	डॉ. मधु अग्रवाल	–	सदस्य
18.	डॉ. रविन्द्र मंगल	–	सदस्य
19.	डॉ. कृष्णा राठौड़	–	सदस्य
20.	डॉ. मधुलिका	–	सदस्य
21.	डॉ. दुलीचंद	–	सदस्य
22.	डॉ. मोहम्मद हुसैन	–	सदस्य
23.	डॉ. बजरंग सिंह राठौड़	–	सदस्य
24.	डॉ. के.एल. माथुर	–	सदस्य
25.	डॉ. आर.के. सक्सेना	–	सदस्य

26.	डॉ. गार्गीराय चौधरी	–	सदस्य
27.	डॉ. अर्चना चुंग	–	सदस्य
28.	डॉ. आर.सी. सुथार	–	सदस्य
29.	डॉ. ओ.पी. कुवेरा	–	सदस्य
30.	डॉ. एस.आर.एस. झांझड़िया	–	सदस्य
31.	डॉ. पारूल सिघंल	–	सदस्य
32.	डॉ. परषोत्तम स्वामी	–	सदस्य
33.	डॉ. हुकुम चंद ओझा	–	सदस्य
34.	डॉ. आर. के. रंगा	–	राज्य सरकार द्वारा मनोनीत सदस्य
35.	डॉ. एन. के. व्यास	–	राज्य सरकार द्वारा मनोनीत सदस्य
36	श्रीमती अनुपमा चौधरी	–	राज्य सरकार द्वारा मनोनीत सदस्य
37.	श्री राजेन्द्र सिंह कविया	–	सदस्य सचिव

बैठक में सर्वप्रथम नवनियुक्त सदस्य प्रो. एस. के. भनोत, डॉ. सुरेन्द्र सहारण, डॉ. आर. के. रंगा, डॉ. एन. के. व्यास, श्रीमती अनुपमा चौधरी तथा श्री राजेन्द्र सिंह कविया ~~आदि~~ का स्वागत किया गया तथा निवर्तमान सदस्य डॉ. उमा कान्त ओझा द्वारा विद्या परिषद बैठकों में दिये गये सहयोग की सराहना की गई। माननीय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से बैठक की कार्यवाही बिन्दुवार प्रारम्भ हुई जिसका विवरण निम्नानुसार है :–

1. 23 मई, 2011 को आयोजित विद्या परिषद की आठवीं बैठक का कार्यवाही विवरण विश्वविद्यालय के पत्र क्रमांक प.07 (112III)/शैक्ष./विद्या परिषद्/2011/10572–621 दिनांक 02–07–2011 के द्वारा भिजवाया जा चुका है। छायाप्रति पुनः संलग्न कर कार्यवाही विवरण का अनुमोदन हेतु प्रस्तुत हैं :–

   निर्णय :– उपस्थित समस्त सदस्यों द्वारा विद्या परिषद की आठवीं बैठक के कार्यवाही विवरण का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

2. वर्ष 2004 से 2008 तक के सफल परीक्षार्थियों के लिए मुद्रित करवाई जा रही उपाधियों को वितरित करने हेतु प्रस्ताव :–

   स्पष्टीकरण :– विश्वविद्यालय द्वारा वर्ष 2004 से 2008 तक आयोजित करवाई गई परीक्षाओं में सफल रहे 153480 परीक्षार्थियों को बीकानेर विश्वविद्यालय, बीकानेर के नाम से उपाधियाँ प्रदान की जानी है। वर्ष 2004 की विभिन्न कक्षाओं की 25185 उपाधियाँ, वर्ष 2005 की विभिन्न कक्षाओं की 28280 उपाधियाँ एवं वर्ष 2006 की विभिन्न कक्षाओं की 30288 उपाधियाँ कुलपति के हस्ताक्षर से दिनांक 10.08.2011 को मुद्रित करवाई गई है। वर्ष 2007 की विभिन्न कक्षाओं की 33435 उपाधियाँ एवं वर्ष 2008 की विभिन्न कक्षाओं की 36292 उपाधियाँ कुलपति के हस्ताक्षर से दिनांक 29.09.2011 को मुद्रित करवाई जानी प्रस्तावित

है। इसके अतिरिक्त दिनांक 01 अक्टूबर, 2008 तक शोध कार्य सम्पन्न कर चुके 63 शोधार्थियों को शोध (पीएच.डी.) की उपाधियाँ भी विश्वविद्यालय के पूर्व के नाम बीकानेर विश्वविद्यालय, बीकानेर से प्रदान की जानी है।

वर्ष 2004 से 2008 तक की मुद्रित उपाधियों को जाँच कर सफल छात्र/छात्राओं को वितरित करने हेतु सम्बद्धता प्राप्त सम्बन्धित महाविद्यालयों को प्रेषित की जानी प्रस्तावित है। एजेण्डा विद्या परिषद् के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय :- उपरोक्त प्रस्ताव पर विद्या परिषद द्वारा व्यापक विचार-विमर्श ~~किया गया। चर्चा के दौरान दीक्षान्त समारोह के आयोजन, ड्रेस कोड, गोल्ड मैडल आदि बिन्दुओं पर भी विचार विमर्श कर उपाधि वितरण के प्रस्ताव का~~ सर्वसम्मति से अनुमोदन किया।

3. विश्वविद्यालय के चार विभागों में प्रोफेसर, एसोसियेट प्रोफेसर एवं सहायक प्रोफेसर के चयन हेतु विषय विशेषज्ञों की सूची का अनुमोदन :-

स्पष्टीकरण :- विश्वविद्यालय द्वारा जारी विज्ञापन संख्या 02/2011 के द्वारा निम्नानुसार चार विभागों में प्रोफेसर, एसोसियेट प्रोफेसर एवं सहायक प्रोफेसर की नियुक्ति की जानी है :

S.No.	Department	Name of Post	No. of Post
1	Computer Science	Professor	01
		Associate Professor	02
		Assistant Professor	02
2	Microbiology	Professor	01
		Associate Professor	02
3	History	Associate Professor	01
4	English	Associate Professor	02

चयन समिति के लिए विषय विशेषज्ञों की सूची विद्या परिषद के समक्ष अनुमोदन हेतु बैठक के समय प्रस्तुत की गई।

निर्णय : बैठक के समय प्रस्तुत चार विषयों के पैनल में सम्मिलित नामों पर विद्या परिषद द्वारा व्यापक विचार विमर्श किया गया। पैनल में नये नाम जोड़ने हेतु सदस्यों के सुझाव प्राप्त किये गये। डॉ. आर. के. रंगा ~~द्वारा~~ इतिहास विभाग एवं कम्प्यूटर विभाग में दो- दो नाम, डॉ. के. एल. माथुर ने इतिहास विभाग में तीन नाम एवं श्रीमती आशा गोस्वामी ~~द्वारा~~ माइक्रबॉयोलोजी विषय में दो नाम सम्मिलित करने का सुझाव प्रस्तुत किया। अध्यक्ष महोदय ने उपरोत सदस्यों को दो दिवस में समस्त विवरण सहित विषय विशेषज्ञों के नाम प्रस्तुत करने के लिए निर्देशित किया। उपरोक्तानुसार सदन में प्रस्तुत सूची तथा सदस्यों द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले नामों को विषय विशेषज्ञों की सूचि में सम्मिलित करते हुए विषयवार विषय विशेषज्ञों के पैनल का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया। साथ ही पैनल में टंकण की त्रुटियों को सही करने का निर्णय लिया गया।

टेबल एजेण्डा

(i) शैक्षणिक सत्र 2011–12 में महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय बीकानेर द्वारा नवीन सम्बद्धता जारी किये गये महाविद्यालयों की सूचना :–

स्पष्टीकरण :– महाविद्यालय सत्र 2011–12 में प्रारम्भ करने हेतु राज्य सरकार द्वारा जारी अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र के उपरांत अस्थाई नवीन सम्बद्धता हेतु प्रत्येक महाविद्यालय का विश्वविद्यालय द्वारा निरीक्षण पश्चात् 20 महाविद्यालयों को नवीन सम्बद्धता प्रदान की गई। विभिन्न महाविद्यालयों को प्रदत्त अस्थाई नवीन सम्बद्धता की सूचना विद्या परिषद के समक्ष पुष्टि एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय :– विश्वविद्यालय द्वारा सत्र 2011–12 में राज्य सरकार द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं निरीक्षण दल द्वारा प्रस्तुत अनुशंषा के आधार पर 20 महाविद्यालयों को सत्र 2010–11 के लिए प्रथम बार अस्थाई सम्बद्धता प्रदान ~~प्रदान~~ करने के प्रस्ताव का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया। ~~माननीय अध्यक्ष महोदय ने सदन को अवगत कराया कि सत्र 2011–12 में महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर के क्षेत्राधिकार में सम्बद्धता प्राप्त महाविद्यालय की संख्या 317 हो गई है।~~

(ii) स्नातक स्तर विज्ञान संकाय के प्रथम वर्ष में अनिवार्य विषय के रूप में संचालित हिन्दी व अंग्रेजी में से एक को चयनित करने के सम्बन्ध में प्रस्ताव :–

विद्या परिषद की 8 वीं बैठक दिनांक 23.05.11 को आयोजित बैठक में बिन्दु सं. 4 (1) में लिये गये निर्णय की अनुपालना में विज्ञान संकाय के अध्ययन मण्डल की सामूहिक बैठक दिनांक 24.09.11 को आयोजित की गई। बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा विज्ञान संकाय के प्रथम वर्ष की परीक्षा में अनिवार्य हिन्दी व अनिवार्य अंग्रेजी विषयों में वर्तमान में प्रचलित ऑप्शन व्यवस्था को समाप्त करने के सम्बन्ध में विचार किया गया, जिसमें सदस्यों द्वारा अनिवार्य अंग्रेजी व अनिवार्य हिन्दी दोनों ही विषयों को लागू करने का सर्वसम्मति से मत प्रकट किया तथा उक्त दोनो विषयों के अलग–अलग प्रश्न–पत्र रखने व छात्र के इन विषयों में प्राप्तांकों का प्रतिशत एच्छिक विषयों के प्राप्तांकों में जोड़ने का सुझाव दिया गया। सदन का मत था कि दोनों ही प्रश्न पत्र 50–50 अंकों के हों किन्तु अवधि 3–3 घंटे की हो। इस सम्बन्ध में उक्त प्रस्ताव विद्या परिषद के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय : प्रस्ताव पर विद्या परिषद द्वारा व्यापक विचार–विमर्श किया गया। विचार–विमर्श के दौरान विज्ञान संकाय की ~~सामूहिक~~ समन्वय अध्ययन मण्डलों की बैठक में लिये गये निर्णयों पर सदस्यों से सुझाव मांगे गये। सदस्यों द्वारा हिन्दी एवं अंग्रेजी दोनो विषयों को लागू करने, दोनो विषयों का अगल–अगल पार्ट में संचालित करने, दोनो विषयों के अंक जोडनें सम्बन्धी विभिन्न सुझाव प्रस्तुत किए। व्यापक विचार–विमर्श उपरान्त सदन की सर्वसम्मत भावना थी कि वर्तमान

परिप्रेक्ष्य में हिन्दी एवं अंग्रेजी दोनों भाषायी विषयों का अध्ययन आवश्यक है। दोनों विषयों को पाठ्यक्रम में सम्मिलित करने के सम्बन्ध में समस्त पहलुओं का गहन अध्ययन कर सुझाव प्रस्तुत करने हेतु विद्या परिषद द्वारा अधिष्ठाताओं की समिति बनाने का निर्णय लिया गया। समिति 3 माह में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। समिति के संयोजक एवं अन्य विषय विशेषज्ञ नियुक्त करने हेतु सदन द्वारा माननीय कुलपति महोदय को अधिकृत किया गया। साथ ही अध्यक्ष महोदय द्वारा यह सुझाव दिया गया कि जिला वार प्राचार्यों की बैठक आयोजित कर हिन्दी एवं अंग्रेजी विषय लागू करने के उद्देशों का छात्रों एवं अभिभावकों में प्रसार किया जाए। सदन द्वारा अध्यक्ष महोदय के सुझाव से सहमति प्रकट की गई।

(iii)

Allotment of Research Scholars to transferred Research Supervisors.

Present Provision Under Ordinance 124	Proposal
(4) (ii) Ph.D. Research work shall be allowed to be carried out only in those institutes/colleges affiliated to this University which have PG classes in the subject concerned. (iii) A teacher shall not be allowed to supervise research work irrespective of his eligibility as a guide if the institute/college in which he is posted does not have PG classes in the subject concerned	In the light of many recognized Research Supervisors from Private/Govt Post-Graduate Colleges of the University moving to Under-Graduate Colleges and the Number of seats already announced and candidates qualified the Course work examination (2011, MPCET 2010) for admission to Ph.D. as per new Regulation 2009 of the UGC incorporated in Ordinance 124 of the University, it is proposed that such supervisors, if posted in affiliated colleges of the university may be allotted the Research Scholars, if necessary, with the provision of admitting the candidates in the college of their previous posting. This arrangement will only be effective for accommodating the qualified candidates of MPCET 2010 conducted by the university.

निर्णय : प्रस्ताव का विद्या परिषद द्वारा व्यापक विचार–विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

(IV) Proposal for making provision of supplementary examination at the level of B.B.A.

There is no facility of supplementary examination at the level of BBA. B.Ed. and B.P.Ed. III year whereas this facility is available to the students of III year of B.A., B.Sc., B.Com. and B.C.A. and LL.B. I, II & III year. LL.B. III year is a professional course yet the facility of supplementary is available to the students of LL.B. III. LL.B. I year and LL.B. II year course is known as LL.B. Academic.

If we allow the facility of supplementary examination in BBA III year there may be a possibility that the students of B.Ed. and B.P.Ed. may also raise this demand.

B.Ed. and B.P.Ed. are, of course, professional courses but are of one year duration. On the other hand, B.C.A., B.B.A. and LL.B. are of three year duration. That distinguishes them from B.Ed. and B.P.Ed. The facility is available in B.C.A. and

LL.B. B.B.A. is much like B.C.A. and LL.B. Therefore, B.B.A. deserves the same treatment as that of B.C.A. and LL.B.

The Controller of Examinations after considering the representation of the students submitted that facility of supplementary examination may also be provided to the students of B.B.A. Part III as the same facility is available for other professional courses. As such, the item is placed before the Academic Council for consideration and decision.

निर्णय :– ~~परीक्षा नियंत्रक से प्राप्त~~ उपरोक्त प्रस्ताव पर विद्या परिषद द्वारा छात्र हितों को देखते हुए बी.सी.ए. की भॉति बी.बी.ए. में भी पूरक परीक्षा आयोजित करवाने का सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया। सदस्य डॉ. आर. के. सक्सेना द्वारा इसी सत्र में बी.बी.ए. की पूरक परीक्षा आयोजित करने का सुझाव दिया गया। माननीय अध्यक्ष महोदय ने सदन को अवगत कराया कि इस सम्बन्ध में परीक्षा विभाग से वस्तुस्थिति की जानकारी प्राप्त कर विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा उचित निर्णय लिया जाएगा। विद्या परिषद द्वारा इस सम्बन्ध में ~~उचित निर्णय~~ निर्णय लेने के लिए माननीय कुलपति महोदय को अधिकृत किया गया।

<u>अध्यक्ष महोदय की अनुमति से :</u>

डॉ. रविन्द्र मंगल, द्वारा विश्वविद्यालय में ड्यू पेपर स्कीम के नियम/परिनियम बनाने हेतु पूर्व में आयोजित बैठक के निर्णय का संदर्भ प्रस्तुत करते हुए पुनः सुझाव दिया। विद्या परिषद द्वारा प्रस्ताव पर विचार–विमर्श कर ड्यू पेपर स्कीम का विस्तृत रूप से परीक्षण कर सुझाव प्रस्तुत करने हेतु पांच सदस्यों की समिति गठन करने हेतु माननीय कुलपति महोदय को अधिकृत किया गया।

अन्त में बैठक सधन्यवाद सम्पन्न हुई।

कुलसचिव